राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. दीवानी विविध अपील सं.813/2025

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डिविजनल ऑफिस, किला पार्किंग रिंग रोड के पास, ढिभा पाडा, जैसलमेर (राजस्थान) टीपी हब के माध्यम से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी डिवीजन ऑफिस, भाटी एन प्लाजा, बरकतुल्ला खान स्टेडियम लेन, पाल रोड, जोधपुर। (स्विफ्ट कार नंबर आरजे 15 सीए 1323 का बीमाकर्ता)

----अपीलार्थी

बनाम

1. श्री पदमा राम पुत्र श्री जिया राम, आयु लगभग 54 वर्ष, मेघवाल पाड़ा, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राजस्थान)
2. श्रीमती ढेली देवी पत्नी श्री पदमा राम, आयु लगभग 41 वर्ष, मेघवाल पाड़ा, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राजस्थान)
3. विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेम कुमार, चंडी पाडा, तहसील और जिला जैसलमेर (राजस्थान) (स्विफ्ट कार संख्या आरजे 15 सीए 1323 का चालक एवं स्वामि) (लाइसेंस सं. आरजे 15/ 20150003476)
4. विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेम कुमार, चंडी पाडा, तहसील और जिला जैसलमेर (राजस्थान)

----प्रत्युत्तरदातागण

.....

अपीलार्थी(ओं) के लिए : श्री महेश जोशी।

प्रत्युत्तरदाता(ओं) के लिए :

.....

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

08/05/2025

1. विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जैसलमेर द्वारा एमएसीटी प्रकरण सं. 38/2024 (29/2021) में पारित निर्णय एवं पंचाट दिनांकित19.11.2024 से व्यथित होकर, अपीलार्थी-बीमा कंपनी इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष इसे अभिखंडित करने की मांग कर रही है। आक्षेपित निर्णय द्वारा विद्वान अधिकरण ने6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित12,89,360/- रुपये का प्रतिकर मंजूर किया।

2. पहले संक्षिप्त तथ्य। जैसलमेर के वाल्मीकि कॉलोनी निवासी अजय कुमार ने पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट दी कि 28.12.2019 की रात लगभग 11:00 बजे, उसका छोटा भाई, किशनघाट में एक दोस्त को छोड़ने के बाद अपने स्कूटर (आरजे 15 एसई 5797) पर लौट रहा था, महादेव होटल के पास एक दुर्घटना का शिकार हो गया। उसके आगे चल रही एक सफेद स्विफ्ट कार (आरजे 15 सीए 1323) अचानक बिना सिग्नल दिए तेज गति से मुड़ गई, जिससे टक्कर हो गई। परिणामस्वरूप, उसका भाई और पीछे बैठा कमल किशोर मेघवाल स्कूटर से गिर गए और गंभीर क्षति आई। दोनों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन बाद में कमल किशोर ने दम तोड़ दिया। जैसलमेर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई और अन्वेषण के पश्चात्, कार चालक विजय कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया।

2.1 मृतक कमल किशोर के विधिक उत्तराधिकारियों ने मोटर वाहन दुर्घटना में हुई उसकी मृत्यु के लिए 1,86,10,000 रुपए के प्रतिकर की मांग करते हुए दावा याचिका दायर की।

3. अपीलार्थी बीमा कंपनी ने दावे का प्रतिवाद किया। उनका अभिमत था कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की उपेक्षा का नतीजा थी और उन्होंने अभिकथन किया कि उसने कार को पीछे से टक्कर मारी थी, जिससे सहदायिकी उपेक्षा गठित हुई। इस आधार पर, उन्होंने प्रतिकर के दायित्व से इनकार कर दिया।

4. विद्वान अधिकरण ने चार विवाद्यक विरचित किए, जिनका हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है-

"1. क्या दिनांक 28.12.2019 को रात्रि लगभग 11:00 बजे, ग्राम जैसलमेर की अधिकारिता वाले क्षेत्र में महादेव होटल के पास गांधी कॉलोनी से ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाली सड़क पर, प्रत्युत्तरदाता सं.1 ने अपने निजी स्वामित्व वाले वाहन, स्विफ्ट कार संख्या आरजे-15-सीए-1323 को तेज गति, उपेक्षापूर्वक और असावधानी से चलाते हुए बिना कोई सिगनल या संकेत दिए वाहन को अचानक मोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप स्कूटर संख्या आरजे-15-एसई-5797 से टक्कर हो गई, और परिणामतः, स्कूटर सवार कमल किशोर को गंभीर क्षति हुई और बाद में जोधपुर में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई?

(याचिकाकर्ता का दायित्व)

2. क्या याचिकाकर्ता, उक्त दुर्घटना में मृतक कमल किशोर की मृत्यु के कारण, प्रत्युत्तरदाताओं से संयुक्तः एवं पृथकतः ब्याज सहित1,86,10,000/- रुपए (एक करोड़ छियासी लाख दस हजार रूपये मात्र) की प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार हैं?

(याचिकाकर्ता का दायित्व)

3. क्या प्रत्युत्तदाताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर में उल्लिखित आधारों और आपत्तियों के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रतिकर दावा आवेदन अस्वीकार किये जाने योग्य है?

(प्रत्युत्तरदाताओं की जिम्मेदारी)

4. अनुतोष?

4.1. याचिका के समर्थन में, दावेदारों ने पदमा राम (एडब्लयू-2) सहित दो गवाहों से पूछताछ की और प्रदर्श 1 से 20 तक अंकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपीलार्थी बीमा कंपनी ने एनएडब्ल्यू1 दीपक गुर्जर को अपना एकमात्र गवाह पेश किया। पक्षों द्वारा प्रस्तुत संबंधित साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान अधिकरण ने सभी विवाद्यकों को दावेदारों के पक्ष में विनिश्चित किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जैसलमेर द्वारा दिनांक 19.11.2024 को पारित निर्णय विधिक रूप से एबदार और तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अधिकरण द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत हैं और मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं की अन्वेक्षा करते हैं, जिससे आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

5.1 उन्होंने दलील दी कि अधिकरण ने अपीलार्थी के विरुद्ध विवाद्यक सं1 विनिश्चित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अधिकरण ने एडब्ल्यू1 पदमा राम के परिसाक्ष्य पर गलत भरोसा किया, जो कि स्वीकार्यतः दुर्घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। उसके कथन, जनश्रुति पर आधारित होने से, विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माने जाने चाहिए थे। इसके अतिरिक्त, यांत्रिक निरीक्षण (एमटीओ) रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्कूटर आगे से क्षतिग्रस्त था और स्विफ्ट कार का बायां गेट क्षतिग्रस्त

था। यह उपदर्शित करता है कि मृतक द्वारा चलाए जा रहे स्कूटर ने कार को पीछे से टक्कर मासी जो सुरक्षित दूरी बनाए रखने में विफल रहने के कारण स्कूटर सवार की उपेक्षा को इंगित करता है। यह सुस्थापित है कि कार चालक के विरुद्ध आरोफ्पत्र दाखिल किए जाने मात्र से उसका एकल दायित्व स्वतः ही स्थापित नहीं हो जाता। अधिकरण द्वारा एमटीओ के निष्कर्षों और शारीरिक क्षति के स्वरूप का उचित रूप से मूल्यांकन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उपेक्षा का अनुचित निष्कर्ष निकला है।

5.2 उनका तर्क है कि अधिकरण ने मृतक की मासिक आय 5,850 रुपए को एक अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित करने और उसे 18 वर्ष की आयु का व्यस्क मानने में त्रुटि की है। दावेदारों द्वारा प्रस्तुत जन आधार कार्ड के अनुसार, मृतक का जन्म 23.04.2002 को हुआ था, जिससे दुर्घटना के समय उसकी आयु 17 वर्ष और 8 महीने से कुछ अधिक थी। इस प्रकार, अधिकरण द्वारा व्यस्कता की धारणा तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसके अतिरिक्त, प्रतिकर की गणना करते समय, अधिकरण ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय के एक-तिहाई हिस्से को कम किया, जबकि अविवाहित होने के कारण, स्थापित विधि के अनुसार, उचित कटौती आधी होनी चाहिए थी। इस त्रुटि ने एक बढ़े हुए पंचाट को अग्रसर किया है जिसमें सुधार अपेक्षित है।

5.3 इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि अधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168(1) के पीछे निहित विधायी आशय की अन्वेक्षा की है। यह प्रावधान अधिकरण पर एक कानूनी कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह एक सार्थक जांच संचालित करे और मृतक तथा दावेदारों के बीच संबंधों का निर्धारण करने एवं आश्रितता के विस्तार का मूल्यांकन करने के पश्चात् न्यायसंगत और

युक्तियुक्त प्रतिकर का अवधारण करे। अधिकरण के दृष्टिकोण में गहराई का अभाव था और वह इन महत्वपूर्ण पहलुओं को परखने में विफल रहा। इसने न तो दावेदारों की पात्रता की जाँच की और न ही न्यायसंगत प्रतिकर के सिद्धांतों को उनकी वास्तविक भावना में संबोधित किया। इस प्रकार पारित किया गया पंचाट न केवल अत्यधिक है, बल्कि विधायी आदेश के भी विपरीत है, और इसलिए अभिखंडित किए जाने योग्य है।

6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं जो कमोबेश अभिवचनों में दिए गए आधारों के समान ही हैं और मैंने मामले की पत्रावली का परिशीलन किया है। मैं अब इसके गुणों और अवगुणों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूंगा और इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट विवेचना और तर्कों के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

7. आक्षेपित पंचाट के परिशीलन से अन्य बातों के साथसाथ यह प्रकट होता है कि विवाद्यक सं2 को साबित किए जाने का भार याचिकाकर्ताओं पर है। शवपरीक्षा रिपोर्ट और आधार कार्ड पुष्टि करते है कि 2019 में दुर्घटना के समय मृतक 18 वर्ष का था। साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि पीडब्ल्यू1 तथा समर्थनकारी आपराधिक अभिलेखों के आधार पर दुर्घटना कार चालक के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक कृत्य के कारण हुई। इसने मृतक की मासिक आय 5,850/-रुपए होना स्वीकार किया और 6% प्रति वर्ष ब्याज सहित 12,89,360 /-रुपए का प्रतिकर दिया। बीमा कम्पनी द्वारा उठाई गई आपत्तियां बिना गुणों के पाई गई थी और खारिज कर दी गई थी। चूंकि दावेदार अपनी आय साबित नहीं कर सका, 2019 में एक अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी 5,850 रुपए/माह, गणना के लिए उपयोग में ली गई थी। यह माना गया कि इस आय

का 1/3 हिस्सा मृतक द्वारा व्यक्तिगत रूप से खर्च किया गया था, और 2/3 (3,900 रुपए/माह) याचिकाकर्ताओं को अभिदत्त किया गया था।18 के गुणक का उपयोग करते हुए, आय की वार्षिक हानि 8,42,400/-रुपए प्रकल्पित की गई थी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी के मामले के अनुसार, भावी आय में 40% की वृद्धि (3,36,960/-रुपए) जोड़ी गई। अतिरिक्त प्रतिकर में अंतिम संस्कार व्यय के लिए 15,000/-रुपए, सम्पदा हानि के लिए 15,000/-रुपए और संतान वंचन के लिए दोनों दावेदारों को40,000 रुपए शामिल थे, जिससे कुल प्रतिकर 12,89,360/-रुपए हो गया। समर्थनकारी साक्ष्य के अभाव में याचिकाकर्ताओं का अतिरिक्त राशि के लिए किया गया दावा खारिज कर दिया गया था।

8. मैं प्रारंभिक स्तर पर ही यह अवलोकन करना चाहूंगा कि भले ही मृतक की काल्पनिक आय में से व्यक्तिगत खर्च के रूप में1/2 की कटौती के संबंध में गणना की कोई तुच्छ संगणना त्रुटि हो, जैसा कि तर्क दिया गया है, फिर भी दुर्घटना के समय मृतक की आयु18 वर्ष होने को देखते हुए, समग्र संगणना के सापेक्ष विद्वान अधिकरण द्वारा अवधारित प्रतिकर अपेक्षाकृत कम पक्ष पर है। अधिकरण का निर्णय अन्यथा कानूनी रूप से ठोस, तथ्यात्मक रूप से समर्थित और न्यायिक नजीरों के अनुरूप है। अपीलार्थी के अपील के आधार- उपेक्षा, आय निर्धारण, आयु और कानूनी अनुपालन से संबंधित- जिनमें कोई दम नहीं है और वे निर्णय में किसी भी प्रकार की विकृति या अवैधता को स्थापित नहीं करते हैं। प्रतिकर उचित है और तुच्छ त्रुटियाँ(जैसे, कटौती प्रतिशत या आयु अनुमान) समग्र संदर्भ में अप्रासंगिक हैं। दावेदारों को पहले से ही प्रतिकर सुनिश्चित करने के अधिकरण के सुविचारित निर्णय को बरकरार रखने के लिए अपील खारिज किए जाने योग्य है। ऐसा होने पर, तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक

सिद्धांतों के विश्लेषण के आधार पर, यहां विस्तार से बताए गए कारणों से मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता।

9. विद्वान अधिकरण का यह निष्कर्ष कि दुर्घटना स्विफ्ट कार चालक (विजय कुमार) के उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने के कारण हुई, सुआधारित है। एडब्ल्यू-1 पदमाराम की परिसाक्ष्य, हालांकि प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श-1), एफआईआर (प्रदर्श-2), आरोप पत्र (प्रदर्श-3), नक्शामौका (प्रदर्श-5), फर्द जब्ती (प्रदर्श-6 और 7), और शवपरीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-12) सहित पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है। ये दस्तावेज सामूहिक रूप से स्थापित करते हैं कि कार चालक ने बिना संकेत दिए अचानक कार मोड़ दी, जिससे टक्कर हुई। अपीलार्थी की सहदायिकी उपेक्षा (अर्थात्, स्कूटर ने कार को पीछे से टक्कर मारी) का तर्क देने के लिए यांत्रिक निरीक्षण (एमटीओ) रिपोर्ट पर निर्भरता अधिकरण के निष्कर्ष का खंडन करने के लिए अपर्याप्त है। नुकसान का पैटर्न (स्कूटर के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त होना और कार के बाएं दरवाजे का क्षतिग्रस्त होना) स्कूटर चालक की उपेक्षा को निश्चायक रूप से सिद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि कार द्वारा यकायक मुड़ना अभी भी दुर्घटना का प्राथमिक कारण हो सकता है। पुलिस अन्वेषणोपरांत कार चालक के विरुद्ध दायर आरोप पत्र पर अधिकरण का भरोसा, उपेक्षा के निष्कर्ष को और मजबूत करता है।

10. अपीलार्थी का एकमात्र साक्षी, एनएडब्ल्यू-1 दीपक गुर्जर ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि कार चालक के विरुद्ध उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने का आरोप पत्र दायर किया गया था, जिससे स्कूटर

सवार की एकमात्र या सहदायिकी उपेक्षा के अपीलार्थी के दावे को जर्जरित कर दिया गया। इस प्रकार, अधिकरण ने इस आधार पर अपीलार्थी की आपत्ति को खारिज कर दिया, और यह सही भी है।

11. 2019 में एक अकुशल श्रमिक की काल्पनिक आय के आधार पर, मृतक की मासिक आय 5,850 रुपए का अधिकरण का निर्धारण युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है, हालाँकि, उच्च आय साबित करने वाले विर्दिष्ट साक्ष्य के अभाव में अधिकरण ने अत्यधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया। जब प्रत्यक्ष साक्ष्य अनुपस्थित होते हैं, तो न्यूनतम मजदूरी एक कठोर सूत्र के बजाय केवल एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करती है। ***जाकिर हुसैन बनाम साबिर एवं अन्य: (2015) 7 सुप्रीम कोर्ट केस 252 में सर्वोच्च न्यायालय*** के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। चूंकि दावेदार अपील में नहीं हैं, अतः यह न्यायालय बीमा कंपनी को इसके परिणामों के अधीन करने से प्रविरत रहेगा।

12. अपीलार्थी की यह दलील कि अधिकरण ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का केवल एक तिहाई हिस्सा (आधे के बजाय, जैसा कि एक अविवाहित व्यक्ति के लिए सामान्यतः होता है) की कटौती करने में त्रुटि की है, में कुछ दम हो सकता है। यद्यपि, चूंकि मैं इस मत का हूं कि उस समय की वास्तविक दैनिक मजदूरी दरों (एक दिहाड़ी मजदूर के लिए 600-900/-रुपए प्रतिदिन या 12,000/- से 15,000/-रुपए प्रति माह) को देखते हुए, 12,89,360 रुपए का कुल प्रतिकर कम है, अतएव, इस पंचाट में हस्तक्षेप न करना उचित समझा जाता है।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण ने मृतक को 18 वर्ष का मानने में त्रुटि की है, जबकि उसके जन आधार कार्ड के अनुसार दुर्घटना के समय उसकी आयु 17 वर्ष और 8

महीने थी। यदि यह तथ्यात्मक रूप से सही भी है, तो भी यह त्रुटि मामूली है और प्रतिकर की गणना को तत्वतः प्रभावित नहीं करती है। सरला वर्मा के मामले के अनुसार, 18 का गुणक, आयु सीमा 15-20 वर्ष के आयु वर्ग पर लागू होता है, इसलिए अधिकरण की 18 वर्ष की धारणा सही सीमा के भीतर है। यह मामूली विसंगति पंचाट को अपास्त करने का आधार नहीं बनती है।

14. परिणामस्वरूप, खारिज की जाती है।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण मोंगा) ,जे

3-धनंजयएस/ आरमाथुर /-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी